मस्टकीम @सिराजुद्दीन

बनाम

राजस्थान राज्य

(2008 की आपराधिक अपील सं.1327)

13 जुलाई, 2011

[अशोक कुमार गांगुली और दीपाक वर्मा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

एस.302/34 – हत्या – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि–उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया-अभिनिर्धारण: जहां मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वहां अपराध का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की बेगुनाही या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाएं। मौजूदा मामले में, चश्मदीद गवाहों और रिकवरी गवाहों में से एक ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान वापस ले लिए थे, लेकिन नीचे की अदालतों ने उन पर विश्वास नहीं किया – जहां तक अन्य गवाहों का सवाल है तो उनके बयानों में कई विसंगतियां और विरोधाभास हैं – उनके सबूत कि आरोपियों ने घटना से एक दिन पहले उन्हें मृतक को ख़त्म करने की सूचना दी थी, भरोसेमंद नहीं है – अभियुक्तों और मृतक के बीच कोई दुश्मनी स्थापित नहीं की जा सकी, और

रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें मृतक को खत्म करने के लिए प्रेरित करता हो- रिकवरी गवाह स्थानीय व्यक्ति नहीं थे – रिकवरी मेमो पर ओवरराइटिंग को आई.ओ. द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया – आरोपी की निशानदेही पर बरामद हथियार पर लगा खून परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि वह पहले ही विघटित हो चुका था – इस मामले को सभी कोणों से देखते हुए, आरोपी को अपराध के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित और उचित नहीं होगा- तदनुसार वे बरी किये जाते हैं – साक्ष्य अधिनियम, 1872- धारा 27-भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – एस. 162 – व्याख्या-"विरोधाभास"।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

एस 27- आरोपियों से मिली जानकारी- आरोपियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हथियार बरामद किए गए- अभिनिर्धारण: धारा 27 के संबंध में जो महत्वपूर्ण है वह आरोपी के खुलासे पर भौतिक वस्तु की खोज है, लेकिन अकेले इस तरह के खुलासे से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि अपराध भी आरोपी द्वारा किया गया था- वास्तव में, इसके बाद, भौतिक वस्तुओं की खोज और अपराध के करने में इसके उपयोग के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर आ जाता है- धारा 27 के तहत जो स्वीकार्य है वह खोज की ओर ले जाने वाली जानकारी है न कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस पर बनाई गई कोई राय- एक वसूली गवाह

को पक्षद्रोही घोषित किया गया और दूसरे ने कहा कि वसूली मेमो पुलिस स्टेशन में तैयार किया गया था- इस प्रकार, अपीलकर्ता के खुलासे पर हथियारों की बरामदगी अपने आप में संदिग्ध हो जाती है-दंड संहिता, 1860-एस.304/34।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 136-नीचे अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप - मौजूदा मामले में, संपूर्ण साक्ष्य, गंभीर त्रुटियों से दूषित है और यदि अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा जाता है तो यह न्याय की हत्या के समान होगा - इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई सजा जिसकी पुष्टी उच्च न्यायालय द्वारा की गई, को कानून के तहत कायम नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाता है।

अपीलकर्ता पर चार अन्य लोगों के साथ एक 'आरवाई' की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 24.07.2003 को शाम 5.45 बजे, एसएचओ पी.डब्ल्यु.16 को एक व्यक्ति की हत्या के बारे में टेलीफोन पर सूचना मिली। वह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और देखा कि एक व्यक्ति खून से लथपथ मृत पड़ा हुआ है, पूछताछ करने पर, वहां मौजूद पी.डब्ल्यु.3 ने उन्हें बताया कि हत्या ए-1, ए-2 और एक अन्य व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसकी पहचान बाद में ए-3 के रूप में की गई, जिसने पीड़ित को तलवार और चाकू से घायल कर

दिया। एसएचओ ने पी.डब्ल्यु.3 का ए पर्चा बयान दर्ज किया और मामला दर्ज किया। कुल मिलाकर पांच आरोपी थे. इनमें से एक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया. बाकी चार में से ट्रायल कोर्ट ने एक को बरी कर दिया और तीन आरोपी-अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत दोषी ठहराया। उनकी अपीलें उच्च न्यायालय ने खारिज कर दीं। व्यथित होकर अभियुक्त ने तीन अलग-अलग अपीलें दायर कीं।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर (पीडब्लू-13) के साक्ष्य के आलोक में, यह स्पष्ट है कि मृतक की मानवघाती मृत्यु हुई थी[पैरा 8] [110-सी]

1.2 यह उल्लेख करना उचित है कि अभियोजन पक्ष के एकमात्र स्टार गवाह, अर्थात् पी.डब्लू.3, और मुख्य भौतिक गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने इस संदर्भ में देखा कि पी.डब्ल्यु.1 (वसूली गवाह), पी.डब्ल्यु.3 और पी.डब्ल्यु.2 (दोनों चश्मदीद गवाह) सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए अपने बयानों से मुकर गए थे। परीक्षा के दौरान. इसके अलावा, अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति के संबंध में उसके बयान और बयान में स्पष्ट विरोधाभासों के कारण, उसने पी.डब्लू.19 के बयान को अधिक विश्वसनीयता देने से भी इनकार कर दिया है। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने भी उन्हें अविश्वसनीय पाया था और

अपीलकर्ताओं को उनके बयानों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया था। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय ने उनके साक्ष्यों पर विचार नहीं किया है। निचली अदालत ने निष्कर्ष दर्ज किया था कि मामला बिना किसी चश्मदीद गवाह के है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।(पैरा 11) [110-एफ-एच; 111-ए]

2.1 पीडब्लू 10 के बयान के अनुसार, जिसके घर में मृतक पिछले 5 से 6 वर्षों से किरायेदार के रूप में रह रहा था, अपीलार्थी (ए-1) और (ए-3) घटना के एक दिन पहले उनसे मिले थे। और उसे बताया कि, उस दिन यह 'आरवाई' की अंतिम यात्रा होगी और वह अपने घर नहीं आएगा। पी. डब्ल्यू 9 जो पी.डब्ल्यू 10 की पत्नी है, इसी समान साक्ष्य है। पी. डब्ल्यू. 8 ने गवाही दी कि तीनों आरोपी-अपीलकर्ता नियमित रूप से मृतक से मिलने आते थे क्योंकि वे सभी अवैध शराब का कारोबार करते थे। पी. डब्ल्यू. 9 से यह पता चलने पर कि आरोपी मृतक को खत्म करना चाहते थे, उसने टेलीफोन पर उसे जल्द से जल्द मिलने के लिए कहा था। जब मृतक उससे मिला तो उसने उसे आरोपी के इरादों के बारे में बताया, पी.डब्लू.8, पी.डब्लू.9 और पी.डब्लू.10 के साक्ष्यों के मूल्यांकन से, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम है कि मृतक और अपीलकर्ता सभी शराब के अवैध व्यापार में शामिल थे। और घटना की तारीख से एक दिन पहले, ए-1 और ए-3 ने पी.डब्ल्यू.9 और पी.डब्ल्यू.10 को मृतक को खत्म

करने के अपने इरादे व्यक्त किए थे। लेकिन, वास्तव में, पुलिस के समक्ष अपने बयान देने के दौरान कुछ भौतिक तथ्यों को बताने में तीनों गवाहों, अर्थात् पी.डब्लू.8 से 10 की ओर से चूक, जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बयानों में स्वीकार किया है, उसे सीआरपीसी की धारा 162 के स्पष्टीकरण के अनुसार विरोधाभास भी माना जा सकता है। उनका साक्ष्य, कि अभियुक्तों ने घटना की तारीख से एक दिन पहले पी.डब्लू.8 को सूचित किया था कि वे मृतक को ख़त्म कर देंगे, भी भरोसेमंद नहीं है। उनके साक्ष्यों में कई विसंगतियां सामने आ रही हैं। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 8 बिल्कुल अनुश्रुत गवाह है। [ पैरा 14-16,21 और 22] [111-डी-एच; 112-ए-बी; 113 बी-डी]

2.2 उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ पाई गई अन्य परिस्थिति यह थी कि, उनके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के आधार पर, अपराध के कमीशन में इस्तेमाल किए गए कथित हथियार और मानव रक्त से सने कपड़े बरामद किए गए थे। दरअसल, अपीलकर्ताओं के खुलासे पर हथियारों की बरामदगी ही संदिग्ध हो जाती है। रिकवरी मेमो के गवाह पी.डब्ल्यू.1 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और एक अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.10 ने स्वीकार किया कि पुलिस स्टेशन में मेमो और अनुलग्नकों पर हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे। यदि वसूली मेमो पुलिस स्टेशन में ही तैयार किया गया तो वह अपनी पवित्रता खो देगा। यह उल्लेख करना भी उचित है कि पी.डब्ल्यु.1,

4 किलोमीटर दूर रहता था और पी.डब्ल्यु.10, 8 किलोमीटर दूर रहता था। बरामदगी के स्थान से दूर कर दिया गया और दोनों को पक्षद्रोही भी घोषित कर दिया गया। अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि किसी भी स्थानीय व्यक्ति को गवाह बनने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। अभियोजन पक्ष का आचरण बेहद संदिग्ध प्रतीत होता है और अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने के लिए मामले को मनगढ़ंत बनाता है। रिकवरी मेमो यह भी दर्शाता है कि उस पर ओवरराइटिंग थी जिसे जांच अधिकारी पी.डब्लू.16 द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।[ पैरा 18,24 और 28] [112-डी; 113-जी-एच; 114-ए-डी; 115-जी-एच]

वरुण चौधरी बनाम राजस्थान राज्य 2010 एस. सी. आर. 296 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. सी. 72-पर निर्भर।

2.3 साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में, जो महत्वपूर्ण है वह आरोपी के खुलासे पर भौतिक वस्तु की खोज है, लेकिन अकेले इस तरह के खुलासे से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि अपराध भी आरोपी द्वारा किया गया था। वास्तव में, इसके बाद, भौतिक वस्तुओं की खोज और अपराध के कमीशन में इसके उपयोग के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर आ जाता है। अधिनियम की धारा 27 के तहत जो स्वीकार्य है वह खोज की ओर ले जाने वाली जानकारी है, न कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस पर बनाई गई कोई राय[ पैरा 27] [115-ई-जी]

अंतर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 2004 (2) एससीआर 123 = 2004 (10) एस. सी. सी. 657 पर भरोसा किया।

पुलुकुरी कोटय्या और ओआरएस। बनाम सम्राट आकाशवाणी 1947 पी. सी. 67- संदर्भित किया गया।

2.4 सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर, यह रिकॉर्ड में आया है कि मृतक के पैंट और बनियान पर 'एबी' रक्त समूह के निशान पाए गए थे। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ताओं के कहने पर समूह 'एबी' की मानव रक्त से सनी तलवार और कपड़े भी उनके द्वारा दिखाए गए स्थानों से बरामद किए गए थे और केवल वे ही जानते थे और कोई नहीं। उच्च न्यायालय की राय थी कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी थी और उसने केवल अपीलकर्ताओं पर ही उक्त अपराध करने की उंगली उठाई। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 'एबी' रक्त समूह जो मृतक के कपड़ों पर पाया गया था, वह स्वयं अपीलकर्ताओं के अपराध को स्थापित नहीं करता है जब तक कि वह अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ा न हो। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किया गया कोई भी गवाह उस तथ्य को स्थापित नहीं कर सका। ए-1 की निशानदेही पर बरामद तलवार पर पाया गया खून परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि वह पहले ही विघटित हो चुका था[ पैरा 19 और 23] [112-ई-एफ; 113-ई-एफ]

2.5 जहां तक हत्या के पीछे के मकसद (यदि कोई हो) का संबंध है, गवाहों के प्रासंगिक बयान की समीक्षा करने पर, अपीलकर्ताओं के खिलाफ पाए गए परिस्थितियों में से एक यह है कि मृतक और अपीलकर्ता शराब के अवैध व्यापार में लिप्त थे और इस प्रकार उनकी एक-दूसरे से दुश्मनी थी। अन्य, किसी भी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित नहीं है, पी.डब्लू.8, पी.डब्लू.9 और पी.डब्लू.10 के साक्ष्य पर तो बिल्कुल भी नहीं। मृतक की हत्या का मकसद यह नहीं हो सकता. पी.डब्लू.9 और 10 के साक्ष्य अभियुक्त की ओर से मृतक की हत्या करने के इरादे को स्थापित नहीं करते हैं। चूंकि उनके बीच रिकॉर्ड पर कोई दुश्मनी स्थापित नहीं की जा सकी, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो मृतक को खत्म करने के लिए आवश्यक हो [ पैरा 20 और 22] [112-जी-एच; 113-ए-सी-डी]

2.6 कानून में यह बहुत अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वहां अपराध का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी आपत्तिजनक तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की बेगुनाही या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाएं। . इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सच है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसका निर्णय परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर किया जाना चाहिए, जिसे इस न्यायालय द्वारा कानून द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है। मौजूदा मामले में, मामले को सभी कोणों से देखते हुए

अपीलकर्ताओं को अपराध के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित और उचित नहीं होगा।[ पैरा 24-25] [114-डी-एफ]

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1985 (1) एस. सी. आर. 88 = 1984 (4) एस. सी. सी. 116 और सत्ततीय @सतीश राजन्ना कर्तल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य 2008 (3) एस. सी. सी. 210-पर भरोसा किया।

3. जहां तक तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ हस्तक्षेप की गुंजाइश का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा मामले में, पूरे साक्ष्य गंभीर त्रुटियों से दूषित हैं और यदि अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा जाता है तो यह न्याय की हत्या करने जैसा होगा। इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को कानून में बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, इन्हें अलग रखा जाता है और रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है [ पैरा 31-33] [117-बी-जी]

मामला कानून संदर्भः

1985 (1) एससीआर 88 उस पर भरोसा करें पैरा 26

2010 एससीआर 296 उस पर भरोसा करें

पैरा 28

1947 पी. सी. 67 संदर्भित किया गया है

पैरा 28

2004 (2) एससीआर 123 उस पर भरोसा करें

पैरा 28

2008 (3) एस. सी. सी 210 उस पर भरोसा करें

पैरा 28

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 1327/2008।

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ 2005 की डी. बी आपराधिक अपील संख्या 210 में अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 03.12.2007 से उत्पन्न।

के साथ

2008 की आपराधिक अपील संख्या 1369

2008 की आपराधिक अपील सं. 1370।

आर. के. कपूर, श्वेता कपूर, रीतू शर्मा, अनीस अहमद खान, डॉ. मोनिका गुसैन, हरिओम यदुवंशी और आर. के. कपूर ( न्यायमित्र) अपीलार्थी के लिए।

इम्तियाज अहमद, नगमा इम्तियाज, मिलिंद कुमार, अर्चना पाठक दवे और मिलिंद कुमार प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

**दीपक वर्मा, जे.** 1. यह निर्णय और आदेश 2008 का सीआरएल ए. सं. 1369 नन्दू सिंह उर्फ विक्रम सिंह बनाम.राजस्थान राज्य एवं सीआरएल ए.सं.2008 का 1370 अरुण जोसेफ बनाम. राजस्थान राज्य के निपटान को नियंत्रित करेगा, क्योंकि वे राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायिक खंडपीठ, जयपुर की खंडपीठ द्वारा डीबी आपराधिक अपील संख्या 125/2005, 210/2005 और 1176/2005 निर्णय 03.12.2007 में दर्ज किए गए सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुए हैं, जो सत्र प्रकरण संख्या 02/2004 जो 10.02.2005 को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पीए मामले) जयपुर द्वारा दर्ज किए गए फैसले और सजा के आदेश से उत्पन्न हुआ।

2. ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले और आदेश में अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34( संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन

कारावास की सजा सुनाई। 1000/- जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और रुपये का जुर्माना 500/- जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सजाएँ एक साथ चलने का निर्देश दिया गया।

3. उक्त निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की खंडपीठ के समक्ष ऊपर उल्लिखित तीन अपीलें दायर की थीं। मामले पर सभी पहलुओं से विचार करने के बाद उच्च न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ट्रायल कोर्ट के उक्त फैसले के खिलाफ किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपीलों को खारिज कर दिया। कुल मिलाकर, पांच आरोपी थे जिनमें से एक अबरार को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और अब्दुल वाहिद को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस प्रकार तीनों दोषी अभियुक्तों द्वारा ये अपीलें की गईं।

4. तदनुसार, हमने अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील श्री आरके कपूर, सुश्री श्वेता कपूर, श्रीमती मानसी धीमान और प्रतिवादी राज्य के लिए श्री मिलिंद कुमार, श्री इम्तियाज अहमदा और सुश्री अर्चना पाठक दवे को सुना और अभिलेख अवलोकन किया।

5. अभियोजन की कहानी को जन्म देने वाले तथ्य, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया, इस प्रकार हैं: -

दिनांक 24.07.2003 को शाम 5.45 बजे दिवाकर चतुवेर्दी एसएचओ पुलिस थाना विधानसभा, जयपुर को टेलीफोन पर कठपुतली कॉलोनी में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। रोजनामचा में उक्त सूचना दर्ज करने के बाद, एसएचओ पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि एक व्यक्ति खून से लथपथ मृत पड़ा हुआ था।

6. पूछताछ करने पर पीडब्लू 3 - घटनास्थल पर मौजूद अशोक कुमार ने दिवाकर को बताया कि मृतक का नाम राम पाल यादव था। उन्होंने आगे बताया कि राम पाल यादव की हत्या मुस्तकीम, नंदू और एक अन्य व्यक्ति ने तलवार और चाकू से हमला करके की है। तीसरे व्यक्ति की पहचान बाद में अरुण जोसेफ के रूप में हुई। उक्त सूचना मिलने पर एसएचओ ने पी.डब्ल्यु.3 - अशोक कुमार का पर्चा बयान दर्ज किया और आईपीसी की धारा 302/120बी के तहत मामला दर्ज किया। इस प्रकार जांच मशीनरी को गति दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, आवश्यक मेमो तैयार किए गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दायर किया गया।

7. आरोपियों के विरुद्ध धारा 302/149 आईपीसी एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किये गये। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा चलाने की प्रार्थना की। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले

के समर्थन में 19 गवाहों से परीक्षण करवाया। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं के बयान रिकॉर्ड किए गए, जिन्होंने खुद को निर्दोष बताया और बरी करने के लिए प्रार्थना की।

8. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्श. पी.34, मृतक राम पाल यादव को मृत्यु से पहले 38 चोटें लगी थीं और पीडब्लू13 - डॉ. सुमंत दत्ता के साक्ष्य से, मौत का कारण छाती, फेफड़े और खोपड़ी आदि पर चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्रावी सदमे के कारण होना बताया गया था। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पीडब्लू 13 - डॉ. सुमंत दत्ता के साक्ष्य के आलोक में, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है और न ही हमारे सामने इस बात पर विवाद किया गया है कि मृतक की मानव वधिक मृत्यु हुई थी।

9. अब इसमें और इससे जुड़ी अपीलों में हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि अपराध के अपराधी कौन थे और क्या ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराना उचित था।

10. इससे पहले कि हम ऐसा करने के लिए आगे बढ़ें, यह बताना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष पी.डब्ल्यु.3 का एकमात्र स्टार गवाह - अशोक कुमार पक्षद्रोही हो गया था और उसे इस तरह घोषित किया गया था।

11. वास्तव में, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि मुख्य महत्वपूर्ण गवाहों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने इस संदर्भ में देखा कि पी.डब्ल्यु.1 मो.अयूब (वसूली गवाह), पीडब्लू3 अशोक कुमार और पीडब्लू2 प्रकाश (दोनों चश्मदीद गवाह) जांच के दौरान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए अपने बयानों से मुकर गए थे। इसके अलावा, इसने पी.डब्ल्यु.19 योगेश कुमार के बयान को अधिक विश्वसनीयता देने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि उसके बयान और अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति के संबंध में उपरोक्त बयान में स्पष्ट विरोधाभास हैं। इस प्रकार, संक्षेप में, ट्रायल कोर्ट ने भी उन्हें अविश्वसनीय पाया था और अपीलकर्ताओं को उनके बयानों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया था। इसी प्रकार उच्च न्यायालय ने उनके साक्ष्यों पर विचार नहीं किया है। इस प्रकार, उनके साक्ष्य से निपटना न तो आवश्यक है और न ही आवश्यक है। ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष दर्ज किया था कि मामला बिना किसी चश्मदीद गवाह के है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

12. इसलिए पीडब्लू8- श्रीमती सुप्यार कंवर, पी.डब्ल्यु.9 - लाली देवी और पी.डब्ल्यु.10- चित्तर के साक्ष्य पर चर्चा करना आवश्यक है। ताकि इसमें सच्चाई के तत्व का पता लगाया जा सके और अपराध करने के पीछे किसी भी मकसद को समझा जा सके।

13. यह पूरी तरह से स्थापित है कि अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमें यह देखना होगा कि क्या परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी संपूर्ण थी कि अपराध के अपराधियों के रूप में केवल अपीलकर्ताओं पर ही उंगली उठाई जा सके। हालाँकि, कानूनी विश्लेषण में जाने से पहले, हम पी.डब्ल्यु.8 और पी.डब्ल्यु.10 के बयानों की संक्षेप में जाँच करना चाहेंगे।

14. अभियोजन की कहानी के अनुसार, अपीलकर्ता मुस्तकीम और अरुण ने घटना से एक दिन पहले पीडब्ल्यू 10 - चित्तर से मुलाकात की थी, जिसके घर में मृतक राम पाल यादव पिछले 5 से 6 वर्षों से किरायेदार के रूप में रह रहे थे और उन्होंने गवाही दी कि अपीलकर्ता मुस्तकीम और अरुण ने उससे कहा था कि, उस दिन यह राम पाल की आखिरी यात्रा होगी और वह दोबारा उसके घर नहीं आएगा। ऐसा ही साक्ष्य पी.डब्ल्यु.9 - पी.डब्ल्यु.10 की पत्नी लाली देवी का भी है। उसने वही संस्करण दोहराया है जो पी.डब्ल्यु.10- चित्तर द्वारा साक्ष्य में बताया गया था।

15. पीडब्लू8 – श्रीमती सुप्यार ने बताया कि मुस्तकीम, अरुण और नंदू नियमित रूप से राम पाल यादव से मिलने जाते थे क्योंकि वे सभी अवैध शराब का कारोबार करते थे। जब लाली देवी को पता चला कि अरुण, मुस्तकीम और नंदू राम पाल यादव को खत्म करने के इच्छुक हैं, तो उन्होंने टेलीफोन पर उनसे जल्द से जल्द मिलने के लिए कहा था। जब

मृतक राम पाल यादव की मुलाकात श्रीमती सुप्यार से हुई, उसने उसे आरोपी के इरादों के बारे में बताया। उसने उसे यह भी बताया कि अरुण और मुस्तकीम दोनों ने कहा था कि यह राम पाल यादव की उसके घर की आखिरी यात्रा होगी क्योंकि वे उसे खत्म करने की योजना बना रहे थे।

16. इस प्रकार, पी.डब्ल्यु.8, पी.डब्ल्यु.9 और पी.डब्ल्यु.10 के साक्ष्यों के मूल्यांकन से, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम है कि मृतक राम पाल यादव और अपीलकर्ता सभी अवैध व्यापार में शामिल थे। शराब और घटना की तारीख से एक दिन पहले, अरुण और मुस्तकीम ने राम पाल को खत्म करने के अपने इरादे पी.डब्ल्यु.9 और पी.डब्ल्यु.10 को व्यक्त किए थे।

17. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की अपील पर विचार करते हुए इस कारक को अंततः उपरोक्त अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों में से एक के रूप में पाया।

18. उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ पाई गई अन्य परिस्थिति यह थी कि, अपीलकर्ताओं के प्रकटीकरण बयानों के आधार पर, अपराध के कमीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और मानव रक्त से सने कपड़े बरामद किए गए थे। अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित

किया जाएगा) की धारा 27 के प्रभाव और उसके बाद भौतिक वस्तुओं की खोज पर विस्तार से चर्चा की है।

19. सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर रिकॉर्ड में आया है कि मृतक के पैंट और बनियान पर एबी ब्लड ग्रुप के निशान पाए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ताओं के कहने पर मानव रक्त समूह एबी से सने हुए तलवार और कपड़े भी उनके द्वारा दिखाए गए स्थानों से बरामद किए गए थे और केवल वे ही जानते थे और कोई नहीं। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण, उच्च न्यायालय की राय थी कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी थी और परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला केवल अपीलकर्ताओं द्वारा उक्त अपराध किए जाने की ओर इशारा करती है।

20. हत्या के पीछे के मकसद (यदि कोई हो) के संबंध में, गवाहों के प्रासंगिक बयान की समीक्षा पर, हमारी राय है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ पाई गई परिस्थितियों में से एक, मृतक और अपीलकर्ता शराब के अवैध व्यापार में लिप्त थे और इस प्रकार वे एक-दूसरे से शत्रुता रखते थे, यह किसी भी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित नहीं है, पीडब्लू8, पीडब्लू9 और पीडब्लू10 के साक्ष्य पर तो बिल्कुल भी नहीं। राम पाल की हत्या का मकसद यह नहीं हो सकता।

21. वास्तव में, पुलिस के समक्ष अपने बयान देने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने में तीनों गवाहों, अर्थात् पीडब्लू 8, पीडब्लू 9

और पीडब्लू 10 की ओर से की गई चूक, जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बयानों में स्वीकार किया है, पर भी विचार किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 162 के स्पष्टीकरण के अनुसार "विरोधाभास" के रूप में जा सकता है।

22. उनके साक्ष्य, कि उन्होंने घटना की तारीख से एक दिन पहले पीडब्ल्यू 8 को सूचित किया था कि वे राम पाल को खत्म कर देंगे, भी भरोसेमंद नहीं है। उनके साक्ष्यों में दिखाई देने वाली कई विसंगतियों के कारण, पीडब्लू8 पूरी तरह से एक अनुश्रुत गवाह है जो उनके साक्ष्यों से पता चलता है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यु.9 और पी.डब्ल्यु.10 के साक्ष्य आरोपी की ओर से राम प्रसाद की हत्या करने के इरादे को स्थापित नहीं करते हैं। चूंकि उनके बीच कोई दुश्मनी रिकॉर्ड पर स्थापित नहीं की जा सकी, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए राम पाल को खत्म करना उचित हो।

23. मृतक के कपड़ों पर पाया गया एबी रक्त समूह स्वयं अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित नहीं करता है जब तक कि वह अपीलकर्ता द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ा न हो। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किया गया कोई भी गवाह उस तथ्य को स्थापित नहीं कर सका। मुस्तकीम की निशानदेही पर बरामद तलवार पर लगा खून परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि वह पहले ही बिखर चुकी थी। किसी भी दर पर, निम्नलिखित

पैराग्राफों में बताए गए कारणों के कारण, यह तथ्य कि मृतक पर पाए गए खून के निशान बरामद हथियारों पर पाए गए निशानों से मेल खाते हैं, वास्तव में हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम नहीं कर सकते हैं कि हत्या के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। .

24. वास्तव में, अपीलकर्ताओं के प्रकटीकरण पर हथियारों की बरामदगी ही संदिग्ध हो जाती है। रिकवरी मेमो पी.डब्ल्यु.1 का गवाह – मो.अयूब खान को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और एक अन्य गवाह पी.डब्ल्यु.10 - चित्तर ने स्वीकार किया कि पुलिस स्टेशन में ही मेमो और अनुलग्नकों पर हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि पी.डब्ल्यु.1 - मो.अयूब खान बरामदगी स्थल से 4 किलोमीटर दूर और पी.डब्ल्यु.10 – चित्तर बरामदगी स्थल से 8 किलोमीटर दूर रहता था और पक्षद्रोही भी घोषित कर दिया गये। अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा कि किसी भी स्थानीय व्यक्ति को गवाह बनने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। अभियोजन का आचरण बेहद संदिग्ध प्रतीत होता है और अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने के लिए मामले को मनगढ़ंत बनाता है। रिकवरी मेमो यह भी दर्शाता है कि उस पर ओवरराइटिंग थी जिसे पीडब्लू16 - दिवाकर चतुर्वेदी (जांच अधिकारी) द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि मेमो और अनुलग्नक उनकी अपनी लिखावट में तैयार किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि वे अलग लिखावट में थे। इस कमी को अभियोजन पक्ष द्वारा

और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए था जब पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। इस प्रकार मामले को सभी कोणों से देखने पर हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ताओं को अपराध के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित और उचित नहीं होगा।

25. कानून में यह बहुत अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वहां अपराध का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है, जब सभी आपत्तिजनक तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की बेगुनाही या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सच है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसका निर्णय परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर किया जाना चाहिए, जिसे इस न्यायालय ने कानून द्वारा अच्छी तरह से तय किया है।

26. 1984 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के सबसे प्रसिद्ध मामले में (4) एससीसी 116 शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य में पैरा 153 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना के संबंध में कुछ प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। जब भी मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो तो निम्नलिखित विशेषताओं का अनुपालन करना आवश्यक

है। उन्हीं प्रमुख विशेषताओं को एक बार फिर से दोहराना फायदेमंद होगा जो इस प्रकार हैं:-

"(i) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए, न कि केवल 'हो सकती हैं',

(ii) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(iii) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(iv) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए, और

(v) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

27. अधिनियम की धारा 27 के संबंध में, जो महत्वपूर्ण है वह आरोपी के खुलासे पर भौतिक वस्तु की खोज है, लेकिन अकेले इस तरह के खुलासे से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि अपराध भी आरोपी द्वारा किया गया था। वास्तव में, इसके बाद, भौतिक वस्तुओं की खोज और अपराध के कमीशन में इसके उपयोग के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर आ जाता है। अधिनियम की धारा 27 के तहत जो स्वीकार्य है वह खोज की ओर ले जाने वाली जानकारी है न कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस पर बनाई गई कोई राय।

28. यदि रिकवरी मेमो पुलिस स्टेशन में ही तैयार किया गया था तो वह अपनी पवित्रता खो देगा जैसा कि इस न्यायालय ने वरुण चौधरी बनाम में माना था। राजस्थान राज्य की रिपोर्ट एआईआर 2011 एससीसी 72 में दी गई है।

29. धारा 27 का क्षेत्र और दायरा एआईआर 1947 पीसी 67 पुलुकुरी कोटाय्या और अन्य बनाम सम्राट में भी स्पष्ट रूप से बताया गया था जिस यहाँ नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:-

> "...अनुभाग के भीतर 'खोजे गए तथ्य' को उत्पादित वस्तु के समकक्ष मानना गलत है; खोजे गए तथ्य में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु को प्रस्तुत किया गया है और इसके बारे में आरोपी का ज्ञान भी शामिल है और दी

गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। प्रस्तुत वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी उस सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि 'मैं अपने घर की छत में छुपाया गया चाकू पेश करूंगा' इससे चाकू की खोज नहीं हो पाती है; चाकू की खोज कई साल पहले की गई थी। यह इस तथ्य की खोज की ओर जाता है कि मुखबिर के घर में उसकी जानकारी के अनुसार एक चाकू छिपा हुआ है, और यदि यह साबित हो जाता है कि चाकू का उपयोग अपराध के लिए किया गया था, तो पाया गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है। लेकिन यदि बयान में 'जिससे मैंने ए पर वार किया' शब्द जोड़ दिए जाएं तो ये शब्द अस्वीकार्य हैं क्योंकि ये मुखबिर के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं।"

इसके बाद 2004 (10) एससीसी 657 अंतर सिंह बनाम राजस्थान राज्य. में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के एक अन्य फैसले में इसे दोहराया गया।

30. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांत पर 2008 में एक बार फिर से चर्चा की गई और उसका सारांश (3) एससीसी 210 सत्तिया @सतीश राजन्ना कार्तल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य निम्नलिखित शर्तों में दिया गया:

> "10. ..यह स्थापित कानून है कि किसी अपराध को न केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य से, बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है, जहां कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अदालत अपराध का अनुमान तब लगा सकती है, जब सभी आपत्तिजनक तथ्य और परिस्थितियां सामने आ जाएं। अभियुक्त की बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत हो। बेशक, जिस परिस्थिति से अपराध का अनुमान लगाया जाता है उसे उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उस मुख्य तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए जिससे अनुमान लगाया जाना चाहिए "

31. तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ हस्तक्षेप की गुंजाइश के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग नीचे दिए गए उपरोक्त निर्णय के पैरा 14 में वर्णित तरीके से किया जा सकता है: -

> "14. इस स्तर पर, हम यह मानना भी उचित समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का

प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय अपील में पुष्टि की गई सजा के फैसले को रद्द करने के लिए बेहद अनिच्छुक होगा।

हालांकि, अगर ऐसा पाया जाता है यदि किसी मामले में साक्ष्य की विवेचना, जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, गंभीर त्रुटियों से दूषित हो गई है और इस कारण न्याय की हत्या हुई है, तो अदालत निश्चित रूप से ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप करेगी ।

[भारत बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003 (3) एससीसी 106]

32. पूरे साक्ष्य पर चर्चा करने के बाद, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि यह गंभीर त्रुटियों से दूषित है और यदि अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा जाता है तो यह न्याय की हत्या के समान होगा।

33. इस न्यायालय के कई प्राधिकारियों द्वारा कानून के पूर्वोक्त अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के प्रकाश में, हमारी राय है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और अपीलकर्ताओं की अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। अत: इन्हें एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और रद्द किया जाता है। अपील की अनुमति है। अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए

आरोपों से बरी किया जाता है। यदि किसी अन्य आपराधिक मामले में आवश्यक न हो तो अपीलकर्ताओं को स्वतंत्र किया जाए।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कमल लोहिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।